

Order Sheet [Contd]

Case No 256/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
17.07.2017	<p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोपीगण अभिरक्षा से पेश। सहित श्री जी०एस० गुर्जर, के०पी०राठौर एवं श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्तागण।</p> <p>पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड से अप०क० 40/17 अंतर्गत धारा 302, 201, 34 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित पेश।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त मोनू की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है उसे साजिश कर झूठा फंसाया गया है और आवेदक दिनांक 26.02.2017 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक के माता पिता वृद्ध है और उसके हिरासत में होने से परिवार के सामने आर्थिक तंगी का संकट आ गया है। आवेदक के कृत्य के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे। अतः उसे उचित जमातन मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त मोनू की ओर से यह आधार लिया गया है कि आरोपी कल्लू पर केवल यह आरोप है कि उसके द्वारा कार उपलब्ध कराई गई है। वह घटना में शामिल नहीं रहा है, लम्बे समय से अभिरक्षा में है। इन्हीं आधारों पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रकरण में आरोपी मोनू के द्वारा हत्या की घटना में प्रयुक्त कार क्रमांक एम.पी. 32 सीत्र 1681 को उपलब्ध कराने शेष आरोपीगण के साथ षड्यंत्र में संलग्न दर्शाए गए है और षड्यंत्र के अग्रसरण में उक्त से मृत्तिका को सूनसान जगह पर ले जाकर उसे पकड़कर मारुती से टक्कर मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप है।</p> <p>प्रकरण में आरोपी पर लगाए गए अपराध की गंभीरता एवं उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>परिणामतः आवेदक/अभियुक्त मोनू की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० निरस्त किये जाते है।</p> <p>केश डायरी बापस हो।</p> <p>प्रकरण ट्रायल प्रोग्राम प्रस्तुत हेतु एवं आवेदक मनोज बाथम की ओर से आवेदनपत्र धारा 451 जा०फौ० जबाव एवं तर्क हेतु दिनांक. 25.07.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए०एस०जे० गोहद</p>	